छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनाँक

क्रमांक-FINACC-1694/2026-P&RD :: राज्य शासन एतद् द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के तहत् सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्यो के लिए मुख्य अभियंता, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना द्वारा निर्धारित की गई मानक लागत के आधार पर तालिका के स्तम्भ-''6''में दर्शित ग्रामों में स्तम्भ-''13'' के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करता है।

(लंबाई कि.मी. में, राशि लाख रू. में)

स. क्र.	जिला का नाम	विधानसभा	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई	अनुमानित लागत	कंटिजेंसी 1%	जी.एस.टी. 18%	योग (10+11+12)
1.	धमतरी	कुरूद	कुरूद	कोकड़ी (खैरा)	कोकड़ी (खैरा)	30	सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य पानी टंकी से साहू भवन तक	500	56.09	0.5609	10.0962	66.7471
2.	धमतरी	कुरूद	कुरूद	कोसमर्रा	कोसमर्रा	30	सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से अपशिष्ट कचड़ा संग्रहरण केन्द्र तक	500	56.15	0.5615	10.107	66.8185
3.	धमतरी	कुरूद	कुरूद	चरोटा	चरोटा	30	सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण कार्य यादव भवन से मुक्तिधाम तालाब तक	500	56.15	0.5615	10.107	66.8185

कार्य संपादन हेतु शर्ते :-

1. छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 3221/पं.ग्रा.वि.वि./22 /2012 दिनांक 09.04.2012 के बिन्दु क्र. 3 एवं आदेश क्रमांक 350/2644/22/ वि-3/ग्रा.या.से. दिनांक 16.04.2012 के बिन्दु क्र. 2 एवं 3 अनुसार तकनीकी मापदण्डों का पालन किया जावे।
2. शासन द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं प्राक्कलन के अनुरूप ही निर्माण कार्य संपादित कराया जावे।
3. योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यो में मुख्य अभियंता, छ.ग.ग्रा.स.वि.अ. रायपुर द्वारा दिनांक 25.06.2025 को निर्धारित एस.ओ.आर पर सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार कार्य संपादन सुनिश्चित किया जावे।
4. कार्य स्वीकृत मानक प्राक्कलन के अनुसार स्वीकृत कार्य स्थल पर ही कराया जावेगा।
5. योजना के अतंर्गत भू-अर्जन हेतु राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माण कार्य नियमानुसार शासकीय भूमि पर ही करायी जावे।
6. स्वीकृत कार्य का लेखा संधारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा रखा जावेगा। योजना अथवा जिस प्रयोजन हेतु राशि दी जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जावेगा।
7. स्वीकृत राशि को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जावेगा तथा स्वीकृत कार्य हेतु उपलब्ध आबंटन का व्यय उसी कार्य में किया जावे।
8. कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणित होने के उपरांत ही कार्यकारी एजेंसी को आगामी किस्तों में राशि जारी की जावेगी।
9. स्वीकृत राशि से अधिक का व्यय, किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे, अन्यथा इस हेतु निर्माण एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
10. कार्य के दौरान श्रमिकों को शासन के द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी देय मजदूरी दर की स्पष्ट जानकारी दी जाये तथा शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जावे।
11. योजनांतर्गत धार्मिक स्थल या ऐसे स्थलों के परिसर में इमारत निर्माण, स्वागत द्वार बनाने या फिर किसी व्यक्ति विपेप अथवा परिवार को सहायता दिया जाना पूर्णतः वर्जित है। प्रत्येक निर्माण कार्यस्थल पर ''सूचना फलक'' आवश्यक रूप से लगाया जावेगा जिसमें कार्य के प्राक्कलन का संपूर्ण गोश्वारा सरल भाषा में अंकित होगा। सूचना फलक का फोटोग्राफ तत्काल मुख्य अभियंता, कार्यालय मु. मं.ग्रा.स.वि.यो. को भेजा जावेगा।

12. कार्य में सूचना के अधिकार संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे तथा कार्य में पूर्णतः पारदर्शिता बरती जावेगी।
13. कार्यादेश दिनांक से 05 माह के अन्दर कार्य पूर्ण किया जावे।
14. कार्य पूर्ण होने पर उसका परियोजना पूर्णता प्रमाण–पत्र (PCC) एवं परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन ;च्ब्द्ध मुख्यालय मुख्य अभियंता, मु.मं. ग्रा.स.वि.यो. में भेजा जावेगा। कार्य का मूल्यांकन कार्यपालन/सहायक अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जावेगा तथा परियोजना पूर्णता प्रमाण–पत्र ;च्ब्द्ध एवं परियोजना पूर्णता प्रतिवेदन (PCR) के साथ कार्य के फोटोग्राफ भी दो प्रतियों में दिये जावेंगे। फोटोग्राफ में कार्य का नाम स्पप्ट रूप से दर्शित होना चाहिये।
15. यह सुनिश्चित किया जावे की किसी भी स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावे।
16. कार्य प्रारंभ के पूर्व यह सुनिश्चित की जावे कि संबंधित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना से स्वीकृत/निर्मित नहीं है, यदि कार्य की स्वीकृति इसके पूर्व हो चुकी है तो इसकी सूचना विभाग को दी जावे ताकि दोहरी स्वीकृति से बचा जा सके।
17. कार्य हेतु जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रतिमाह 5 तारीख तक संबंधित एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्यालय को भेंजे।
18. कार्य का ले आउट देने के पूर्व कार्य स्थल के छायाचित्रों के साथ कार्य प्रारंभ करने की सूचना देवें। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भी छायाचित्र लिया जावें।
19. स्वीकृत कार्य से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति, पंचायत प्रस्ताव निर्माण स्थल का नक्शा खसरा की प्रति कार्य प्रारंभ होने के पूर्व इस कार्यालय में उपलब्ध कराये।
20. स्वीकृत कार्य में क्रियान्वयन एजेंसी के विरूद्ध भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है एवं जांच में किसी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होने की दशा में स्वीकृत सम्पूर्ण राशि भू–राजस्व की भांति निर्माण एजेंसी से वसूली एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
21. उपरोक्त स्वीकृति यह मानते हुए जारी की जा रही है कि मुख्य अभियंता, मु.मं.ग्रा.स.वि.यों द्वारा सम्यक परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य प्रस्ताव ही प्रेपित किया गया है।
22. नाबार्ड पोपित योजनाओं में नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही योजनाओं में व्यय किया जाएगा। साथ ही व्यय की गई राशि के प्रतिपूर्ति दावे तत्काल एवं नियमित रूप से वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को प्रेपित किये जाएंगे।
23. RIDF (नाबार्ड) अंतर्गत ऋण प्रतिपूर्ति प्रस्ताव, कार्य प्रगति प्रत्रक के साथ प्रतिमाह की 05 तारीख तक मुख्य अभियंता, कार्यालय मु.मं. ग्रा.स.वि.यो. को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये।
24. छ.ग. शासन, पंग्राविवि के आदेश क्र. 2567/2644(।)/वि–11/मुमंग्रासवियो/2015 दिनांक 15.09.2015 अंतर्गत नाली निर्माण के संबंध में जारी दिशा निर्देश का पालन किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Digitally signed by
ANJU SINGH
Date: 11-09-2026
17:40:42
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक- **FINACC-1694/2026-P&RD** नवा रायपुर अटल नगर दिनांक
प्रतिलिपि :–

01. **विशेष सहायक**, मान. उप मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
02. **वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव**, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
03. **सचिव**, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
04. **महालेखाकार**, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. **मुख्य कार्यपालन** अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर।
06. मुख्य अभियंता, मु.म.ग्रा.स.वि.यो. प्रकोप्ठ, विकास भवन, सिविल लाईस रायपुर।
07. वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय विकास भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.
08. **संबंधित कलेक्टर**, एवं अध्यक्ष, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (छ.ग.)।
09. **समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता**, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सिविल लाईन्स, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।